न्यायालय सिविल जज, (सी०डि०) , झाँसी

प्रकीर्णवाद सं०- २१३/ २०२२

मीरा देवी बनाम विश्वप्रताप सिंह

दिनांक- १२. ११. २०२२

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र ३सी२ प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि उपरोक्त मुकदमे में माननीय न्यायालय द्वारा दि०- ०६. ०४. २०२२ को प्रार्थिया के हक में उत्तराधिकार प्रमाण निर्गत किये जाने का आदेश पारित हो चुका है व न्यायालय द्वारा वांछित न्यायशुल्क स्टाम्प दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया था चूंकि प्रार्थिया के पुत्र का पूर्व में एक्सीडेंट हो गया था और उसका इलाज कई जगह बड़े बड़े अस्पतालों में चलता रहा और बादहू उसका जयपुर चलता रहा है और इलाज अभी चल रहा है जिसमें काफी बडी धनराशि खर्च हो गयी है जिससे प्रार्थिया के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गयी और प्रार्थिया का पूरा परिवार घायल की देखरेख में तीमारदारी व आने जाने में काफी व्यस्त रहा इस कारण प्रार्थिया तत्काल न्यायालय आकर न्याय शुल्क दाखिल नहीं कर सकी ओर न ही न्यायालय आ सकी और रुपयों का प्रबन्ध करती रही है प्रार्थिया न्यायशुल्क जमा करना चाहती है और जब प्रार्थिया आज माननीय न्यायालय में उपस्थित हुई और अपने वकील साहब से अपने मुकदमे की पत्रावली के बारे में पता लगवाया तो उसे कार्यालय लिपिक द्वारा बताया गया कि उसकी पत्रावली दाखिल दफ्तर हो गयी है। प्रार्थिया ने जानबूझकर कोर्टफीस दाखिल करने में कोई भूल या देरी नहीं की है अतः उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु उपरोक्त मुकदमे की पत्रावली अभिलेखागार से तलब किये जाने की याचना की गई है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सक्सेशन वाद ९९/ २०२१ में दि०- ०६. ०४. २०२२ को सक्सेशन वाद निस्तारित किया जा चुका है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र ३सी२ स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र ३सी२ स्वीकार किया जाता है। लिपिक को आदेशित किया जाता है कि पूर्व आदेश दि०- ०६. ०४. २०२२ के अनुपालन में प्रार्थिया के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण जारी करना सुनिश्चित करे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(ईश्वर शरण कन्नौजिया)
सिविल जज(सी०डि०) , झाँसी।